रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 1980/चैत्र 13, 1902
No. 94] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 1980/CHAITRA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1980

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 196(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं.

28/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं. 1 के स्तम्भ (2) की प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐक्रिलिक तन्तु से, यदि ऐसा ऐक्रिलिक तन्तु भारत में उत्पादित ऐक्रिलोनाइट्राइल से विनिर्मित किया गया है, उस पर उद्ग्रहणीय इतने उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होगी, जितना प्रति किलोग्राम दस रुपये से अधिक है।"

[सं. 33/80-के.उ.शु./फा. सं. 357/15/79-टी.आर.यू.]

टी. आर. रुस्तगी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 1980

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 28/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, namely :—

In the Table annexed to the said notification, in S. No. 1, in column (2), after the entries, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that acrylic fibre shall be exempted from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of rupees ten per kilogram if such acrylic fibre has been manufactured from acrylonitrile produced in India"

[No. 33/80-CE/F. No. 357/15/79-TRU]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980